न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

अपील प्रार्थना पत्र संख्या :– 17/2019 **दायर तारीख** 01.08.2019

1. माधूनाथ पुत्र सुगननाथ जाति नाथ निवासी बस्सी तह. परबतसर हाल निवासी मिरासी मौहल्ला चन्देरियों, सीमेन्ट फैक्ट्री चितौड़गढ।

––: अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत बस्सी
2. तहसीलदार परबतसर
3. भू. अभिलेख निरीक्षक भड़सियां
4. पटवारी हल्का बस्सी

–– रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत पीलवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.1990 नामान्तकरण संख्या 289 अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :– श्री गजराज चौहान वकील अपीलान्ट

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 26.11.2019

1. अपीलार्थी माधुनाथ ने यह अपील अभिभाषक श्री गजराज चौहान के जरिये पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम बस्सी की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 386 रकबा 0.96 हैक्टयर, 387 रकबा 0.0200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.0400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.25 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 60 रकबा 0.15 हैक्टयर स्थिता है। अपीलान्ट ने नामान्तकरण में नाम दुरूस्ती हेतु अपील पेश की हैं जिसमें अन्य हितबद्ध व्यक्ति जिनका नामान्तकरण साथ में भरा गया था उनको पक्षकार नही बनाया गया हैं तथा न ही कोई अनुतोष हितबद्ध व्यकितयों के विरूद्ध मांगा हैं क्योंकि अपीलान्ट केवल नामान्तकरण में नाम दुरूस्ती हेतु अपील पेश की है। सम्पूर्ण नामान्तकरण कानुनी रूप से सही भरा गया हैं। अपीलान्ट ने बताया हैं कि अपीलान्ट का राजस्व रिकार्ड में नाम मालनाथ पुत्र सुगनाथ लिखा हुआ हैं जो अपीलान्ट का बोलता नाम हैं जबकि अपीलान्ट की वास्तविक नाम माधुनाथ पुत्र सुगननाथ हैं। अपीलान्ट के अन्य सभी दस्तावेजात में नाम माधुनाथ हैं।

26/11/19
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

ग्राम बस्सी में अपीलान्ट मालनाथ पुत्र सुगननाथ व माधुनाथ पुत्र सुगनाथ के नाम से अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, दोनों नामों का एक मात्र व्यक्ति अपीलान्ट ही है। राजस्व कर्मचारियों की गलती से उक्त नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हुआ हैं। अपीलान्ट ने अपील पेश कर नामान्तकरण संख्या 289 ग्राम बस्सी को इस हद तक संशोधन करने का निवेदन किया हैं कि अपीलान्ट का नाम मालनाथ पुत्र सुगननाथ के स्थान पर माधुनाथ पुत्र सुगननाथ दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

2. अपील प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के सम्मन व्यक्तिगत रूप से तामील होकर प्राप्त हाने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उपस्थित होकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। नामान्तकरण संख्या 289 की प्रमाणित प्रति व जमाबन्दी सम्वत 2076–79, खसरा मिलान क्षेत्र फल, राशन कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रतियां पेश की है।

3. अपीलान्ट की अपील पर उसके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि अपीलान्ट को घर पर लाड़ प्यार से मालनाथ बोलते थे तथा वास्तविक नाम माधुनाथ हैं। अपीलान्ट खातेदार भोलनाथ पुत्र हरनाथ का स्वर्गवास होने पर फौतगी नामान्तकरण दर्ज किया गया हैं जिसमें अपीलान्ट का नाम मालनाथ अंकित कर दिया गया हैं जबकि वास्तविक नाम माधुनाथ हैं जिसको दुरूस्त करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

4. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस अधिवक्ता अपीलार्थी पर मनन किया गया। नामान्तकरण संख्या 289 ग्राम बस्सी के खसरा नम्बर 51, 55 के खातेदार भोलनाथ फौत होने पर सजरा खानदान के अनुसार उसके वारिसान मूलनाथ के पुत्र संतोषनाथ एवं सुगनाथ के वारिसान नाथूनाम, मालनाथ व सुजानाथ के नाम दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा फौत हुए खातेदार के वारिसान द्वारा वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसमें अंकित नामों के आधार पर दर्ज किया गया हैं। जिसकी जांच भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई हैं नामान्तकरण व वारिस प्रमाण पत्र में जो नाम दर्ज थे उनका अंकन सही होना बताया हैं। जिसके बाद ग्राम पंचायत

26/11/19
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

की साधारण बैठक में सर्व सम्मति से प्रस्ताव लेकर स्वीकृत किया गया है। नामान्तकरण संख्या 289 पर भोलनाथ का सजरा खानदान अंकित किया गया हैं जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया हैं कि भोलनाथ के मूलनाथ व सुगननाथ दो पुत्र हैं दोनों फौत हो चुके हैं जिसमें मूलनाथ के एक पुत्र संतोषनाथ व सुगननाथ के तीन पुत्र नाथूनाथ, मालनाथ व सुजानाथ हैं। जिनके नाम नामान्तकरण दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया है। सजरा खानदान में अपीलान्ट का नाम मालनाथ ही दर्ज रिकार्ड हैं। जिससे स्पष्ट हैं कि नामान्तकरण दर्ज करते समय पटवारी हल्का द्वारा किसी प्रकार से अपीलान्ट का नाम गलत अंकित नहीं किया है। नामान्तकरण सजरा खानदान के आधार पर नाम अंकित करते हुए दर्ज किया गया। अपीलन्ट उक्त नामान्तकरण दर्ज होने में किसी प्रकार त्रुटि सिद्ध करने में असफल रहा है। अपीलान्ट द्वारा लगभग 29 वर्ष बाद पेश की हैं। अपीलान्ट ने अपील के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण दिनांक 31.05.1990 को स्वीकृत किया गया था तथा अपीलान्ट द्वारा दिनांक 01.08.2019 को अपील पेश कर नामान्तकरण को खाजिर कराना चाहा हैं जिससे स्पष्ट हैं कि उक्त अपील मयाद बाहर है तथा दर्ज नामान्तकरण में किसी प्रकार की त्रुटि अपीलान्ट द्वारा सिद्ध नहीं की जाने के कारण अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः अपीलार्थी की अपील लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के अभाव में मयाद बाहर होने व दर्ज नामान्तकरण में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती हैं। यह आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/11/19

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर